उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-119/2017/19अ0मु0स0/92-2-17-91जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 18 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यो की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में स्थलीय जांच में निर्माण कार्यो की ग्रेडिंग असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/5511/92-2014-91जांच/2014 दिनांक 02-01-2015 द्वारा श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा सम्प्रति पी0आई0यू0-देवरिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1082/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 06-06-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्र दिनांक 14-10-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री अवधेशमणि त्रिपाठी पर अधिरोपित कुल 05 आरोपों में से आरोप संख्या- 1, 2 व 3 आंशिक रूप से व आरोप संख्या-4 पूर्णरूप से सिद्ध पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र सं0-43/92-2-2017-91जांच/2014 दिनांक 10-01-2017 द्वारा श्री त्रिपाठी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 12-06-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पैकेज संख्या-यू0पी0-3066 सी0बी0एन0 रोड से अन्धायी बन्धा तक के मार्ग का निर्माण कार्य अपचारी अधिकारी, श्री त्रिपाठी द्वारा योजनाबद्व एवं विशिष्टियो के अनुरूप नही कराया गया, जिसके फलस्वरूप डब्ल्यू0बी0एम0 की ग्रेडिंग, कम्पैक्शंन एंव थिकनेश विशिष्टियों के अनुरूप नही पाई गई। जी-2 के मैटेरियल का विशिष्टियों के अनुरूप टेस्ट कराने के उपरान्त प्रयोग नही कराया गया, जिसक परिणाम स्वरूप मार्ग की गुणवत्ता प्रभावित हुई। उक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर साइनबोर्ड भी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की विशिष्टियों के अनुरूप स्टैण्डर्ड साइज का नही पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा संबंधित ठेकेदारो से दुरभि-संधि कर सरकारी धन को हडपने/दुरूपयोग करने का प्रयास किया गया। उक्त अनियमित कृत्य से श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2,गोण्डा सम्प्रति पी0आई0यू0-देवरिया की सत्यनिष्ठा संदिग्ध परीलक्षित हुई। उक्त अनियमित हेतु श्री अवधेश मणि त्रिपाठी की वर्ष 2016-17 की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये निम्नवत **"परिनिन्दा"** दण्ड सहित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के पैकेज संख्या-यू0पी0 3066 के निर्माण कार्यो को योजनाबद्व एवं विशिष्टियो के अनुरूप नही कराया जाने, डब्ल्यू0बी0एम0 की ग्रेडिंग, कम्पैक्शंन एंव थिकनेश विशिष्टियों के अनुरूप स्टैण्डर्ड साइज का न पाये जाने, जी-2 के मैटेरियल का विशिष्टियों के अनुरूप टेस्ट कराने के उपरान्त प्रयोग न कराये जाने, कार्यस्थल पर साइनबोर्ड भी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने तथा संबंधित ठेकेदारो से दुरभि-संधि कर सरकारी धन को हडपने/दुरूपयोग करने की अनियमितता हेतु श्री अवधेशमणि त्रिपाठी तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा को वर्ष 2016-17 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-119/2017/19अ0मु0स0**(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2, गोण्डा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in